ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 344-347
ISSN NO.-2347-2944
Vol.-10, No.-I, Issues-11 YEAR- June -2019

प्राथमिक शिक्षा के विकास में विभिन्न अभिकरण एवं पाठ्य सहगामी क्रिया कलापों की भूमिका

डॉ0 पंकज सिंह
विभागाध्यक्ष, बी0एड0, गांधी स्मारक पी0 जी0 कालेज, समोधपुर – जौनपुर (उ0प्र0), भारत

Received- 24.05.2019, Revised- 30.05.2019, Accepted - 05.06.2019 E-mail: - drpankajsingh89@gmail.com

सारांश : *हमारी शिक्षा व्यवस्था की बुनियाद प्राथमिक शिक्षा है, जिसका प्रभाव शिक्षा के सभी स्तरों पर पूर्ण रूप से दिखाई देता है। विभिन्न स्तरों की शैक्षिक गुणवत्ता एवं वृद्धि तथा जीवन को पूर्ण विकसित करने हेतु प्राथमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था को ठोस वनज प्रदान करना होगा। इस दिशा में शासन स्तर पर अनेक प्रयास किये जा रहे है जिसमें बड़ी संख्या में नये विद्यालय खोलना अध्यापकों की नियुक्ति पाठ्य एवं पाठ्य पुस्तकों का विकास नये बदलते परिवेश के अनुरूप करना, समय–समय पर विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं को संचालित करके शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक उन्नयन हेतु प्रयास करना आदि शामिल हैं। इन प्रयासों का सुपरिणाम भी सामने आया।*

भारतीय संविधान के 86वें संशोधन जो कि शिक्षा के मौलिक अधिकार से सम्बन्धित है, के अनुसार–"राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी।" वह सम्बन्धित राज्य द्वारा निर्धारित कानून के तहत होगी। सर्वशिक्षा अभियान ने 2010 तक प्रामाणित शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्षण निर्धारित किया है।

कुंजीभूत शब्द– बुनियाद, प्राथमिक शिक्षा, शैक्षिक गुणवत्ता, विकसित, प्राथमिक स्तर, शिक्षा व्यवस्था।

प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्धित शैक्षिक अभिकरण– प्राथमिक शिक्षा की प्रगति एवं सुधार हेतु विभिन्न स्तरों पर संस्थाओं की स्थापना की गयी है, जो राष्ट्रीय राज्य, जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर सम्मिलित रूपा से प्रयासरत है। कुछ प्रमुख संस्थाएं निम्न है :

1. राष्ट्रीय स्तर पर – राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशासन संस्थान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् का सामान्य परिचय– राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना केन्द्र सरकार ने 1 अप्रैल 1961 को पूर्व स्थापित बेसिक शिक्षा राष्ट्रीय संस्थान (National Institute of Basic Education), माध्यमिक शिक्षा प्रसार कार्यक्रम निदेशालय (Divectionrate of Secondary Education expansion Programme) शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो (Educational and Voctional Gudiance Beauriro), श्रव्य–दृश्य साधन राष्ट्रीय संस्थान (National institute of Aduio-visual Aids) एवं पाठ्य पुस्तक ब्यूरों (Text Book Baauro) को मिलाकर उनके स्थान पर की थी और इसे स्कूली शिक्षा (पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा) के प्रसार एवं उन्नयन का कार्यभार सौपा था। इसे संक्षेप में एन0सी0ई0आर0बी0 कहते हैं। इसका कार्यालय श्री अरविन्द्र मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसके 17 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनके मुख्य अधिकारियों को क्षेत्रीय सहालक (Field Advison) कहते है। बड़े प्रान्तों में ऐसा एक–एक कार्यालय है और कई छोटे–छोटे प्रान्तों को मिलाकर एक–एक कार्यालय है।

शैक्षिक अनुसंधान एवं नवाचार समिति (Educational research and Innovation)– पुस्तकालय प्रलेखन और सूचना विभाग (Department of Library Documentataion and Information), प्रकाशन विभाग (Publication Department), अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध एकक (International Relation Unit)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षा परिषद् की संस्थाएं– इस परिषद् द्वारा स्थापित संस्थाएं निम्नलिखित हैं–

1. राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली, 2. केन्द्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान, नई दिल्ली, 3. क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। 4. पं0 सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान।

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्– राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना 1973 में की गयी थी। दिसम्बर 1993 में संसद में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् एक्ट, 1993 पास कर इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया और 1995 में इस एक्ट के अनुसार इस परिषद् का पुनर्गठन किया गया।

वर्तमान में इस संस्था में 3 पूर्णकालीन अधिकारी है–अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव। इनका कार्यकाल 4–4 वर्ष

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-10, No.-I, Issues-11 YEAR- June -2019

होता है। इसके अतिरिक्त 52 सदस्य हैं जिसमें से कुछ पदेन है और शेष मनोनीत है।

पदेन सदस्यों में मुख्य सदस्य हैं–केन्द्रीय सरकार का शिक्षा सचिव, यू0जी0सी0 का अध्यक्ष एन0सी0ई0आर0टी0 का निदेशक, नेशनल, यूनिवर्सिटी ऑफ एजूकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन का निदेशक, सी0बी0एस0ई0 का अध्यक्ष, योजना आयोग का परामर्षदाता वित्त सलाहकार ऑल इण्डिया काउससलि फॉर टक्निकल एजूकेशन का सेक्रेटरी और क्षेत्रीय कार्यालयी अध्यक्ष। मनोनीत सदस्यों में मुख्य सचिव सदस्य है– 3 सदस्य संसद से, 3 सदस्य प्राथमिक, माध्यमिक और प्रसिद्ध शिखा संस्थाओं से 9 सदस्य प्रान्तीय सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वालों में से और 13 सदस्य विभिन्न स्तर की शिक्षा के विशेषज्ञों में से। इन मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 2–2 वर्ष होता है, इस प्रकार कुल मिलाकर यह 55 सदस्यों की एक बड़ी जमात है जिसमें शिक्षा विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है।

इस परिषद् का मुख्य कार्यालय देहली में है। इसके चार क्षेत्रीय समितियां हैं जिनके कार्यालय क्रमशः उत्तर का जयपुर में, दक्षिण का बैंगलोर में, पूरब का भुवनेश्वर में और पश्चिम का भोपाल में है। यह परिषद् अपने कार्यों का सम्पादन इन क्षेत्रीय समितियों के माध्यम एवं सहयोग से करती है।

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् के उद्देश्य एवं कार्य–

वर्तमान में इस परिषद् के जो उद्देश्य है उन्हें निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध किया जा सकता है–

1. शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में केन्द्र एवं प्रान्तीय सरकारों और यू0जी0सी0 एवं विश्वविद्यालयों को सलाह देना।
2. सभी प्रकार के शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के लिए मापदण्ड निर्धारित करना।
3. सभी प्रकार की शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करना और साथ ही उनके वेतनमान निर्धारित करना।
4. सभी प्रकार की शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना और समय–समय पर नए–नए पाठ्यक्रम शुरू करना।
5. सभी स्तर के सेवारत शिक्षकों के लिए पुनर्बोधन कार्यक्रमों का निर्माण करना।
6. सभी प्रकार की शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के लिए शिक्षण शुष्क, अन्य शुल्क एवं छात्रवृत्तियों का निर्धारण करना।
7. सभी प्रकार के शिक्षा संस्थाओं का समय–समय पर निरीक्षण कराना और मानदण्ड पूरा करने पर मान्यता प्रदान करना।
8. सभी प्रकार में शिक्षक शिक्षा संस्थाओं का समय–समय पर निरीक्षण कराा, उन्हें सुधार के लिए सुझाव देना और घटिया किस्म की संस्थाओं की मान्यता समाप्त करने की संस्तुति करना।
9. शिक्षक शिक्षा से सम्बन्धित सभी पक्षों का सर्वेक्षण कराना और सर्वेक्षण परिणामों को प्रकाशित एवं प्रसारित करना।
10. शिक्षक शिक्षा से सम्बन्धित सभी पक्षों शिक्षा संस्थाओं में समन्वय स्थापित करना और किसी भी स्तर की शैक्षिक शिक्षा के प्रकार में सन्तुलन बनाये रखना।
11. शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य एवं नवाचारों के प्रयोगों को बढ़ावा देना और साथ ही शोध के स्तर को उन्नत करना।
12. शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकना और इसके स्तरमान के बनाए रखना।
13. केन्द्र सरकार द्वारा शिक्षक शिक्षा के सम्बन्ध में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करना।

शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् का योगदान– शिक्षक शिक्षा परिषद् ने शुरूआती दौर में अपना कार्य बड़े ही शानदार तरीके से प्रारम्भ किया था और पूरे देश के क्षेत्रीय कार्यालयों एवं शिक्षा संस्थाओं का निरीक्षण करवाया था और शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को मानदण्ड पूरे करने के नोटिस दे दिए थे और जो संस्थाएं इस मापदण्ड को पूरा नहीं कर पायी थी या जिनका कार्य पूर्ण नही था ऐसी संस्थाओं (सरकारी और गैर–सरकारी) की अधिसंचरना में सुधार होने लगा था उसमें प्रयोगशाला और कार्यशालाओं की व्यवस्था होने लगी थी और पुस्तकालयों में स्तरीय पुस्तकें और संदर्भ ग्रन्थ मंगाए जाने लगे थे, परन्तु कुछ समय बाद ही यह परिषद् भ्रष्टाचार के चंगुल में फंस गयी, नियम बनाने वाली संस्था ही नियमों का उल्लंघन करने लगी और देखते–देखते पूरे देश में स्ववित्तपोषित शिक्षा संस्थाओं का जाल–सा बिछा दिया गया। कुछ समय बाद यह देखने को मिला कि–

1. परिषद केन्द्र एवं प्रान्तीय सरकारों को शिक्षक शिक्षा के सम्बन्ध में सलाह देने के स्थान पर उलटे उनके द्वारा लिए गए निर्णयों का पालन कर रही है।
2. शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता एवं वेतनमान सब कुछ निर्धारित है, परन्तु इनका पालन बहुत कम संस्थाओं में किया जा रहा है।
3. परिषद् का एक प्रमुख कार्य विभिन्न स्तरों की शिक्षक शिक्षक के उद्देश्य स्पष्ट करना और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आदर्श पाठ्यक्रम का निर्माण करना है।

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-10, No.-I, Issues-11 YEAR- June -2019

इन बीच परिषद् ने अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश के ठोस नियम तक नहीं बना पाए हैं और हालात इस कदर बहत्तर बनते जा रहे हैं कि अधिकतर संस्थाओं में केवल प्रवेश परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जा रहा है और इसमें बड़ी हेरा–फेरी हो रही है।

1. सर्वेक्षण कार्य पूर्ण रूप से न हो पाना।
2. परिषद् का एक मुख्य कार्य देश की सभी शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में समन्वय स्थापित करना और इनके अनावश्यक विस्तार को रोकना है। परिषद् इस क्षेत्र में भी असफल रही है।
3. इस परिषद् से अपेक्षा की गयी थी कि यह शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में शोध कार्य के स्तर को ऊँचा उठायेगी एवं नवाचारों के प्रयोग को बढ़ावा देगी परन्तु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान– यह शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन के क्षेत्र में शीर्षस्थ संस्था हैं यह भारत सरकार द्वारा गठित एक स्वायन्तशास्त्र निकाय हैं इस संस्थान को यह नाम सन् 1979 में दिया गया। इससे पूर्व एशियन इंस्टीट्यूज ऑफ एजूकेशन प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता था। यह यूनेस्कों के सहयोग से स्थापित हुआ था। सन् 1972 में इसे भारत सरकार ने अपने स्वामित्व में लिया उस समय इसे नेशनल स्टॉफ कॉलेज फॉर एजुकेशनल प्लानर्स एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन का नाम दिया गया था। मई 1979 में यह नीपा नाम से प्रचलित है। यह राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक योजना और प्रबन्धन का कार्य देखता हैं इसका प्रमुख कार्य शोध, प्रशिक्षण एवं परामर्श द्वारा शिक्षा नीतियों के निर्धारण, नियोजन तथा प्रबन्धन के क्षेत्र में सरकार का सहयोग करना है।

पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का क्रियान्वयन– जैसा की हम सभी जानते है कि विद्यालय का कार्य प्राचीन काल में यह समझाकर जाता था कि वह बालकों को लिखना, पढना व हिसाब–किताब करना सिखायें और इस अर्थ में शिक्षा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह बालक के ज्ञानवर्द्धन का एक सशक्त साधन हो परन्तु जैसे–जैसे शिक्षा के अर्थ में परिवर्तन हुआ, वैसे–वैसे विद्यालयों में सम्मलित एवं सम्पादित की जाने वाली क्रियाओं के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ, वर्तमान में शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकस करने की एक प्रक्रिया समझी जाने लगी है और इसी कारण हम प्राथमिक विद्यालयों में एवं माध्यमिक और उच्च विद्यालयों में उस समन्वित कार्यक्रम के संगठन की परिकल्पना करते है जिसके द्वारा हम छात्रों का शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक व आर्थिक विकास कर सके। इसके लिए हमें विद्यालयों में पाठ्यक्रम सम्बन्धी क्रियाओं व पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के संचालन की आवश्यकता होती है। पाठ्यक्रम सम्बन्धी क्रियाओं के अलावा विद्यालय में जिन क्रियाओं का संगठन किया जाता था, उन्हें अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाओं की संज्ञा दी गयी थी इन्हें कोई आवश्यक क्रियाओं के रूप में स्वीकार नहीं दी गयी थी इन्हें कोई आवश्यक क्रियाओं के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था। यह विद्यालय व विद्यार्थियों की इच्छाओं व सुविधाओं पर आधारित थी। इनकी सफलता या असफलता के प्रति भी विशेष समय का प्रावधान था। परन्तु वर्तमान समय में पाठ्यक्रम क्रियायें न होकर पाठ्यसहगामी क्रियायें है। इन्हें पाठ्यक्रम के एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया गया है।

पाठ्यसहगामी क्रियाओं के सम्बन्ध में विभिन्न मत है– माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार– ''स्वच्छ, आनन्दप्रद तथा सुव्यवस्थित स्कूल भवन मिल जाने के पश्चात् हम चाहेगे कि स्कूल में विविध प्रकार की संवृद्ध क्रियाओं का आयोजन हो जो विद्यार्थियों की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। उसमें मनोरंजक कार्यों, क्रियाओं तथा योजनाओं की व्यवस्था करनी हागी जो बच्चों को प्रभावित करें और उनकी विभिन्न रूचियों को विकसित करें।''

According to secondary Education Commission, "Given a clean, Pleasant and well maintained school building we would like the school of see if it can provide a richly varied pattern of activities of cater to the development of their children's entire responsibility. It has to formulate a scheme of hobbies, occupations and projects that will appeal to and draw out the powers of children of varying temperaments and aptitudes."

पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का महत्व– विद्यालय के अन्दर चलने वाली प्रत्येक क्रिया जिनसे विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त होते है, वे विद्यालय के अन्दर हों या बाहर, पाठ्यक्रम का ही महत्वपूर्ण अंग है। कुछ प्रवृत्तियां ऐसी होती हैं जिनमें बजाय कार्य के खेल के गुण अधिक होते हैं, यथा–विविध पकार की रूचियां, वाद–विवाद, नाटक आदि। इनके द्वारा विद्यार्थियों की सृजनात्मकता और अभिवृत्तियों के विकास को प्रोत्साहन मिलता हैं, प्रत्येक विद्यालय को विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों का संचालन करना चाहिए जिसमें विद्यार्थी अपनी रूचि व सक्षमता के अनुसार भाग ले सके। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के महत्व को हम निम्नशीर्षकों के अन्दर व्याख्यित कर सकते हैं–

1. मूल प्रवृत्तियों का शोधनत्व परिमार्जन। 2. नागरिकता के गुणों का विकास। 3. सामाजिक भावना का विकास। 4. अवकाश के समय का सदुपयोग। 5. ज्ञान का व्यावहारिक प्रयोग। 6. किशोरावस्था की आवश्यकता की पूर्ति।

7. विशेष रूचियों का महत्व। 8. स्वअनुशासन बनाये रखने में सहायक। 9. मानसिक स्वास्थ्य का विकास।
10. शैक्षणिक महत्व। 11. मनोरंजनात्मक महत्व। 12. सौन्दर्यात्मक महत्व।
13. सीखना व कमाना के सिद्धान्त पर आधारित। 14. नैतिकता का विकास।

प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के प्रकार– प्राथमिक विद्यालयों में जिन प्रमुख पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाता है, उनमें से कुछ कुछ प्रमुख इस प्रकार है –

1– दैनिक प्रार्थना सभा :–

1. प्रार्थना स्थल पर एकान्तभाव से आना। 2. यदि वहां बैठना है या खड़ा होना है तो छात्रों को हमेशा पंक्तिबद्ध रहना चाहिए।
3. प्रार्थना सदैव ही प्रार्थना की मुद्रा में हो। 4. किसी धर्म –विशेष पर प्रार्थना सभा आधारित है।
5. शिक्षकों द्वारा प्रतिदिन सुविचार दिया जाए। 6. समाचार पठन छात्रों द्वारा किया जाये।
7. प्रधानाध्यापक द्वारा उद्बोधन किया जाये। 8. छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य हो।
9. पी0टी0 एवं योग क्रियायें प्रतिदिन हो। 10. अन्तिम कार्यक्रम राष्ट्रगान हो।

2. विषय सम्बन्धी समिति : 1. खेलकूद सम्बन्धी क्रियायें, 2. विद्यालय प्रकाशन, 3. पिकनिक व शैक्षिक भ्रमण 4. अभिरूचि प्रदर्शन, 5. छात्रा परिषद्, 6. वाद–विवाद और भाषण, 7. सांस्कृतिक कार्यक्रम **10– राष्ट्रीय पर्व–** 1. गणतंत्र दिवस, 2. स्वतंत्रता दिवस, 3. गांधी जयंती, आदि से भी विद्यार्थियों को अवगत कराया जाता है। उपर्युक्त तथ्यों के माध्यम से शिक्षकों को चाहिए कि विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास की ओर उन्मुख किया जाए जिससे राष्ट्र का निर्माण हो भविष्य उज्ज्वल बनें इसके साथ ही साथ वातावरण, पर्यावरण आस–पड़ोस वाद–विवाद भाषा ज्ञान माहभाषा में अभिवृद्धि आदि का ज्ञान भी विद्यार्थियों को दिया जाए।

शोध पत्र का उद्देश्य – प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य –

1. प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित शैक्षिक अभिकरण एवं संस्थाएं।
2. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की सामान्य व्याख्या।
3. स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए शिक्षण विधियों का विकास करना।
4. शिक्षा के तकनीकीकरण पर अत्यधिक बल देना।
5. पाठ्यसहगामी क्रिया कलापों के क्रियास्वयन को अधिक से अधिक बढ़ावा देना जिससे छात्रों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक एवं विभिन्न के क्रियाकलापों को अधिक से अधिक आत्म सात कर सकें।

निष्कर्ष – अतः हम यह कह सकते है कि प्राथमिक शिक्षा के विकास में यह परिषद् शिक्षण विधियों तथा शिक्षा के नये–नये आयामों का विकास करती है स्कूली शिक्षा में एन0सी0ई0 आर0टी0 और स्कूली शिक्षा में एन0सी0ई0आर0टी0 का भी अत्यधिक योगदान होता है यह प्राथमिक शिक्षा और स्कूली शिखा के क्षेत्र में अत्यधिक योगदान प्रदान कर रही है। प्राथमिक विद्यालयों में समय के साथ–साथ स्कूल शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन करती है और तदनुकूल उसकी आधारभूत पाठ्यचर्या तैयार करती हैं पाठ्यक्रम पाठ्यसहगामी क्रियाओं का क्रियान्वयन एवं उद्देश्य एवं छात्रों के सर्वांगीण विकास को भी ये संस्थाएं पूर्ण करती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशासन, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एस0सी0ई0आर0टी0) द्वारा अनुमोदित बी0टी0सी0 द्वितीय वर्ष – चतुर्थ सेमेस्टर के (साहित्य प्रकाशन आगरा)।
2. अनिल कुमार जैन (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बरूआ सागर, झांसी।
3. डॉ0 अभिषेक द्विवेदी (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (रायबरेली), प्रारम्भिक शिक्षा के विकास में विभिन्न अभिकरण एवं उनकी भूमिका से पृ0 183 से 192 तक एवं पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का प्रबन्धन से पृ0 सं0 86 से 91 तक।

*****